राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 139/2018

मंगल चन्द आदि **बनाम** दीपक कुमार आदि

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रोशन लाल सैनी – प्रार्थी/वादी सं. 1 की ओर से
2. श्री हेमराज सिंह – अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से

निर्णय दिनांक 08–09–2022

प्रार्थी मंगल चन्द की ओर से श्री रोशन लाल सैनी एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश किया कि प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती भंवर कंवर पुत्री जनक सिंह पत्नी मूल सिंह व प्रतिवादी सं. 16 दलीप सिंह पुत्र उदयसिंह व प्रतिवादी सं. 18 मेघसिंह पुत्र उदयसिंह का दावा पेश करने से पूर्व ही देहान्त हो चुका है। उनके नामों के आगे मृतक शब्द जोड़कर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 4, 16, 18 के विधिक उत्तराधिकारियों को [illegible] पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक पेश करने की अनुमति देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा दावा पेश करने से पहले ही प्रतिवादी सं. 4, 16, 18 की मृत्यु हो चुकी थी जो वादी स्वयं स्वीकार करता है तथा मृत व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश कर दिया तथा वादी/प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया कि उक्त मृत व्यक्तियों की जानकारी कब हुई तथा ना ही प्रार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और न ही शपथ पत्र पेश किया और आदेश 22 नियम 4 जा.दी. में निम्न प्रावधित किया गया है "कई प्रतिवादीगण में से एक या एक मात्र प्रतिवादी की मृत्यु दावे के दौरान हो जाती है तो उस निमित किये गये आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनायेग" इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र दौराने दावा प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, मृत व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश करने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाता है। इसलिये उक्त दावा अबेट हो गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त दावे को अबेट मानकर मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) RRT 126 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer उनवानी हरजिन्द्र सिंह व अन्य बनाम महिन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17 जुलाई 2017 की प्रति प्रस्तुत की है।

बहस प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 2 में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं. 4, 16 व 18 का देहान्त दावा पेश करने से पूर्व हो चुका था। आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. में प्रावधित किया गया है कि "कई प्रतिवादीगण में से एक या एक मात्र प्रतिवादी की मृत्यु दावे के दौरान हो जाती है तो उस निमित किये गये आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार [illegible]" लेकिन मृतक प्रतिवादीगण सं. 4, 16 व 18 का देहान्त वाद प्रस्तुत [illegible] हो चुका था। अतः कायम मुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं पाया जाता है। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/वादी मंगल चन्द का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. दिनांक 22–01–2019 साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप वाद स्वतः उपशमन/अबेट हो गया है। अतः वाद संख्या 139/2018 जीसीएमएस नंबर 2018/00209 को दर्ज रजिस्टर से कम कर दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:02 IST
Reason: SelfAttested